


तारीख
संख्या
परीक्षण
दिनांक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल
256/17	गोपाराम बनाम भंवराराम U/s 212 RT Act.

23/06/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत अर्थात् 30/3/2022 द्वारा-2018 कैम्प कोर्ट, जाजीवाल मंत्रालय प्रस्तुत हुए हर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30/3/2022 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने हेतु कोई निवेदन भी नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का एक ही उद्देश्य है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विगत 06 वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उन्होंने किसी प्रकार का इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया है। विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र का निस्तारण छः महीने के भीतर किया जाना भी आवश्यक है। जिसमें यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को वर्तमान में शीघ्र उपचार को मांगने की आवश्यकता नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को अतिष्ठत में आवश्यकता होने पर विधि अनुसार पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली कैम्प कोर्ट के अंतर्गत दफ्तर दाखिल हो।


 सहायक कलक्टर एवं कॅम्प कोर्ट के अध्यक्ष (फास्ट ट्रेक) जांधपुर
 कैम्प कोर्ट जाजीवाल मंत्रालय